

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २०९]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल १८, १९७२/चैत्र २९, १८९४

No. २०९]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 18, 1972 CHAITRA 29, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 1972

S.O. 299(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Authentication (Orders and other Instruments) Second Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958;

(i) the heading "MINISTRY OF SUPPLY" and the entry thereunder, shall be omitted;

(ii) above the heading "Cabinet Secretariat, Department of Personnel", the following shall be inserted, namely:—

"Department of Supply

Directorate General of Supplies and Disposals

Deputy Director General (Administration/Deputy Director (Administration))".

[No. F. 3/3/72-Public I.]

K. R. PRABHU, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 1972

का० आ० 299(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अधिप्रमाणीकरण (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 1958 में और आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम अधिप्रमाणीकरण (आदेश और अन्य लिखत) द्वितीय संशोधन नियम, 1972 होगा ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. अधिप्रमाणीकरण (आदेश और अन्य लिखत) नियम, 1958 की प्रमुखी में :
 - (i) “पूर्ति मंत्रालय” शीर्ष और उसके अधीन की प्रविष्टि लुप्त की जायेगी ;
 - (ii) “मंत्रिमंडल सचिवालय, कार्मिक विभाग” शीर्ष के ऊपर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“पूर्ति विभाग

पूर्ति और व्ययन महानिदेशालय—उप-महानिदेशक (प्रशासन) ।

उप-निदेशक (प्रशासन)” ।

[सं० फा० 3/3/72-लोक-1]

के० आर० संयुक्त संवत् सचिव ।